

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द**  
(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :- 07 / 2022  
जीसीएमएस न0:- 2022 / 18  
दायर दिनांक :- 24 / 01 / 2022  
निर्णय दिनांक :- 08 / 09 / 2023

**अनवान**

1. श्री पहाडसिंह पिता सुल्तानसिंह जाति परमार निवासी थोरियावास तह0 गढबोर जिला राजसमन्द

-----अपीलांट

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गढबोर जिला राजसमन्द

-----रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार गढबोर प्रकरण संख्या 69 / 2021, निर्णय दिनांक 24.11.2021**

उपस्थित :-

- 1- श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता अपीलांट  
2- श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

**-: निर्णय :-**

निर्णय दिनांक 08.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम थोरियावास पटवार हल्का थोरियावास के खसरा/आराजी नम्बर 688 रकबा 00.05 पॉच बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/- आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 24.11.2021 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलांट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है, अपीलान्ट का राजस्व ग्राम थोरियावास पटवार हल्का थोरियावास तहसील गढबोर के आराजी नम्बर 688 रकबा 00.05 पॉच बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट का पूर्वाधिकारियों के समय से अर्थात् पिछले करीब 100 वर्षों से नियमित रूप से कब्जा चला है, वर्षों से उसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमित रूप से कार्यवाही की जाती रही है, अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है, उसके पास नाम मात्र की कृषि भूमि है, अपीलान्ट का अपने पूर्व के समय से ही उक्त भूमि पर लगातार कब्जा अधिपत्य है तथा उसमें अपीलान्ट एवं उसके परिवार ने काफी श्रम व धन खर्च कर इसे आबाद किया है, अपीलान्ट ने इसके चारों ओर बाउण्ड्रीवाल भी बना रखी है, उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम



*(Handwritten signature)*

नियमन योग्य है तथा अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा नहीं है इसके बावजूद पटवारी हल्का द्वारा उक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में संस्थित कर दी, अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय की जानकारी होते हुए भी उन्होंने अपीलान्ट को बिना शहादत व सबूत पेश करने का मौका दिये अपीलान्ट के विरुद्ध दिनांक 24.11.2021 को आदेश पारित कर दिया, अपीलान्ट का कब्जा काफी पुराना है, एवं नियमन होने योग्य है, फिर भी नियमन का आदेश नही देने में कानुनी भूल की है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या 69/2021 दिनांक 24.11.2021 को अपास्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम थोरियावास पटवार हल्का थोरियावास के खसरा/आराजी नम्बर 688 रकबा 00.05 पाँच बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम भूमि पर पर अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, प्रस्तुत विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम थोरियावास पटवार हल्का थोरियावास के खसरा/आराजी नम्बर 688 रकबा 00.05 पाँच बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम भूमि पर पर अतिक्रमण है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956, की धारा-91, में की गई बेदखली की कार्यवाही तथा लगान 1 रुपये का 50 गुणा शास्ति रुपये 50/- आरोपित करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91, के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रक्रियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है, अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

(नरेश बुनकर)

अति० जिला कलक्टर

राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 08.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर रहें।



(नरेश बुनकर)

अति० जिला कलक्टर

राजसमन्द